रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अक्तूबर 10—अक्तूबर 16, 2010, शनिवार/आश्विन 18—आश्विन 24, 1932
No. 20] NEW DELHI, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2010, SATURDAY/ASVINA 18—ASVINA 24, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2010

का.नि.आ. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर गुणता आश्वासन महानिदेशालय में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आबंटन के लिए नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र से भिन्न स्टेशनों पर गुणता आश्वासन महानिदेशालय में कार्यरत सिविलियनों के लिए निवास स्थान के आबंटन के लिए नियम, 1996 में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"7. (1) कर्मचारी जो आवास के टाइप के आबंटन के लिए उसकी पात्रता को नीचे सारणी में उपदर्शित ग्रेड वेतन के आधार पर किया गया है :

निवास का प्रकार	ग्रेड वेतन
I	1300 रु., 1400 रु, 1600 रु. 1650 रु. और 1800 रु.
II	1900 रु., 2000 रु., 2400 रु. और 2800 रु.
III	4200 रु., 4600 रु. और 4800 रु.
IV	5400 रु. से 6600 रु.
V	7600 रु. से 8900 रु.
VI	10,000 रु. से एचएजी स्तर तक

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation : **For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Principal Controller of Defence Accounts/ Controller of Defence Accounts/Additional Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controller of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member **For the office of the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)/Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controller General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(5)/C/2010]

AMIT. COWSHISH, Addl. Secy. and Addl. FA(A)

रक्षा उत्पादन विभाग

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2010

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और प्रदाय विभाग निरीक्षण महानिदेशालय 'ग' भंडारी पद भर्ती नियम, 1984 को जहां तक उनका संबंध भंडारी, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (भंडारपालन) पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ भंडारी	96* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वे.बैं.-1 52,00-20,200 रु. धन ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या अनुदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** 1 : सरकारी सेवकों के लिए आयु की शिथिलता केवल तब अनुज्ञेय है जब तक कर्मचारी ने केन्द्रीय सरकार के अधीन तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा न की हो। **टिप्पण** 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के

(7)
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।   **टिप्पण 3 :** पदों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सामग्री प्रबंधन में पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रमाण-पत्र ; और (iii) भंडारपालन या लेखा में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करते हुए तब शिथिल की जा सकती है जब चयन किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती की दशा में दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :–** ऐसे भंडारी जिन्होंने 5200-20200 रुपए के वेतन बैंड और 1900 रुपए के ग्रेड वेतन में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(12)

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर सेवा की आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– 1. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. निदेशालय प्रशासन से संयुक्त निदेशक —सदस्य 3. तकनीकी निदेशालयों से निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन-10)	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. भंडारी	100* (2010) *(कार्यभार) के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2** : पदों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण किया हो या समतुल्य ; **वांछनीय**: किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सामग्री पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण-पत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)		(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:–		लागू नहीं होता।
1. स्थापन का प्रमुख	—अध्यक्ष	
2. स्थापन से समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	
3. केन्द्र या निकटतम केन्द्र में महानिदेशालय क्वालिटी आश्वासन के किसी अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 86320/आरआर/एस.के./डी.जी.क्यूए/प्रशा.10/2626/डी(क्यूए)/2010]

सुभाष चंद, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 1st October, 2010

S. R.O. 48.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and the supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance, Group 'C' (Store Keeping) Posts Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Senior Store Keeper and Store Keeper except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Keeper and Store Keeper, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Store Keeping) posts, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Castes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay as Pay Scale	Whether Selection Post or non-selection post	Whether benefit of added years of service under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules-1972 admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Store Keeper	96* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2400	Selection	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servents upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in accordance with instrucions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note : 1 :** The age relaxation to Government servants will be admissible only where an employee has rendered not less than three year's regular service under Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 3 :** In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall, in each

	(7)
	case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked in submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(i) 10 + 2 pass or equivalent from a recognized Board. (ii) certificate for completion of a course in Material Management from a recognised institution. and (iii) two years experience in Store Keeping or Accountancy. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable for persons to be recorded in writing at the discretion of the Central Government in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years in case of direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
By promotion failing which by direct recruitment	**Promotion :** From Store Keeper in the pay band Rs. 5200-20200 and grade pay Rs. 1900 having five years regular service in the grade **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been

(12)
extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee for confirmation exists, what is its composition ?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :— 1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman 2. A Joint Director from Administration Directorate —Member 3. A Director or Joint Director from Technical Directorates —Member 4. Deputy Director (Administration-10) —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Store Keeper	100* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-1 of Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servents upto the age of 40 years in case of general candidates and upto 45 years in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for

(7)
receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2** : In respect of appointment made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall, be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(8)	(9)	(10)
10 + 2 pass or equivalent from any recognized Board. **Desirable :** Certificate for completion of a course in Material Management from a recognised institution.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Head of the Establishment —Chairman; 2. Group 'A' officer from the Establishment —Member; 3. Group 'A' officer from other Establishment of Directorate General of Quality Assurance in the station or nearby station —Member	Not applicable.

[F. No. A/86320/RR/SK/DGQA/Adm.-10/2626/D(QA)/2010]

SUBHASH CHAND, Under Secy.